

तारीख
 हुक्म
 वावरून वनाम हजारी
 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
 वाद- 226/2002 (2020/00041)

162
 2022 पत्रावली पेश हुई। अखिवक्ता उभय पक्ष
 उपस्थित। वारी के प्रार्थना पत्र वाकत
 शाचिका क्रमांक 14378/2019 की प्रमाणित
 प्रति रिकार्ड पर लिखने पर बहल अखिवक्ता
 उभय पक्ष सुनी गयी। हमने अखिवक्ता
 उभय पक्ष की बहल पर गहनता से मजम
 किया। वारी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार
 किया जाकर मा. उच्च न्यायालय में प्रस्तुत
 रिट शाचिका की छति-रिकार्ड पर लिखा जाता
 है।

प्रकरण में प्रथमिक डिफ्री आदेश दिनांक
 15/12/2005 की पालना में राष्ट्र विभक्त
 प्रस्ताव पर बहल अखिवक्ता उभय पक्ष
 सुनी गयी। अखिवक्ता वारी ने कथन
 किया कि प्रमाण में वारी द्वारा मा. उच्च
 न्यायालय में रिट पिटिशन प्रस्तुत की गई
 है जो विचाराधीन है। उक्त रिट पिटिशन के
 निर्णय तक प्रकरण में अन्तिम डिफ्री पत्रित
 किया जाना उचित नहीं है। अखिवक्ता प्रति-
 वारीका ने कहा कि वारी द्वारा मा.
 उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट में किसी प्रकार
 का स्वयं आदेश प्राप्त नहीं किया है, बिना
 स्वयं आदेश के इस न्यायालय के प्रकरण
 में आगामी कार्यवाही को किसी प्रकार रोकना
 जाना न्याय संगत नहीं है, अन्यथा प्रतिवारीका
 के वैधानिक हक अधिकारों पर प्रतिफल
 प्रभाव पड़ेगा। अखिवक्ता प्रतिवारीका ने
 अपने कथन की तैद में citation 2017(2)
 DNJ (Raj) 773 राजस्थान उच्च न्यायालय
 मेजरसिंह वनाम गुरुश्री शान्ति एन एल ए के अन्त
 में प्रस्तुत की।

हमने पत्रावली का अवलोकन कर अखिवक्ता
 उभय पक्ष की बहल पर गहनता से मजम किया।
 प्रस्तुत प्रमाण अन्तर्गत धारा 53 री. ए. का हेतु
 प्रमाण में दिनांक 15/12/2005 को प्रतिवारीका का

..... लगाता 2



(राम सुन्दर विरोधी)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (राज.)

बाबरू ककाम हजारी
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

काउंटर स्लेम बाबत घोषणा एवं किमान
का स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिफ्री
किया गया, जिसके विरुद्ध वारी द्वारा मा. न्यायालय
राजस्व अधीन प्राधिकारी से प्रथम अपील प्रस्तुत
की जिसे मा. न्यायालय RA-1 द्वारा निर्देश
दिनांक 02/9/2008 से रजिस्ट्रार फा. इस न्यायालय
के निर्णय 15/12/2005 को घटावत रखा। वारी
द्वारा द्वितीय अपील मा. न्यायालय राजस्व मंडल
वाजो अमेट में प्रस्तुत की जिसे मा. न्यायालय
राजस्व मंडल अ. अमेट द्वारा वारी न किया
गया है। अब वारी द्वारा मा. उच्च न्यायालय
में रिट पिटिशन प्रस्तुत की है, जो विचाराधीन
है। मा. उच्च न्यायालय का कोई ल्यगन नोदेश
प्रकार में प्रस्तुत नहीं हुआ है।

ऐसी स्थिति में हमें अधिवक्ता प्रतिवादीगण
का कथन उचित प्रतीत होता है कि "बिना
स्वगत नोदेश के इस न्यायालय के प्रकार
में आगामी आप्रवादी को किसी प्रकार रोक
जाना न्याय संगत नहीं है।" अतः हम प्रस्तुत
प्रकार में बिना स्वगत नोदेश आगामी आप्रवादी
को रोक जाना उचित नहीं समझते हैं, लिहाजा
प्रकार में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक
डिफ्री के अनुबन्ध होने से प्रकार विभाजन का
निम्नानुसार अन्तिम डिफ्री किया जाता है:-

क्र. संख्या	नाम श्रातेदार	अ. नं.	रकबा	किस (वर्ग)
1	बाबरू पिता कजोड धाकड निवाली चित्तौडी	26 1	0.66	वा. I 3.63
	कीता	1	0.66	3.63

... लगातार



(सकाम सुन्दर किरनेई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रा.प.क. व.ग.म. हजार

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम	क्र. सं.	नाम स्वतंत्रदार	आ. नं.	रकम	किल्ला	किताब
	२	१- हजार विता उषा धाकड नि. चित्तौडी मृतक के पत्नी	२८	०.०५	का. २	०-२८
		१/१ पमनाबाई पुत्री किराण धाकड नि. भैरवसिंहजीका	३८	०.६०	का. २	३-३०
		१/२ डालीबाई पत्नी स्व. वडीलाल धाकड नि. भैरवसिंहजीका				
		१/२/१ उदयलाल पिता वडीलाल धाकड नि. भैरवसिंहजीका				
		१/२/२ देवीलाल पिता वडीलाल धाकड नि. भैरवसिंहजीका				
		१/२/३ गोपाललाल पिता वडीलाल धाकड नि. भैरवसिंहजीका				
		१/२/४ रमणबाई पुत्री वडीलालजी धाकड पत्नी पामनाबाई धाकड नि. चरनिमा तंदरील निम्बडोडा				
		१/३ मगनीबाई पुत्री हजार धाकड नि. धारियासलीका				
		१/४ सांगीलाल पिता हजारजी धाकड नि. चित्तौडी				
		२- सांगीलाल पिता हजारजी धाकड नि. चित्तौडी				
		किता	२	०.६५		३-५८



उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में सम्मिलित
किता जावे। निवेद्यानुसार डिफ्री जारी की जावे।
विभाजन प्रस्ताव के साथ जाफ नक्शा देस
डिफ्री का पारि रेकार्ड पत्रावली केसल
शुमार होकर नम्बर ले कम हो।

(सकल सुन्दर विरनेह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपस्थान अधिकारी
विभागाध्यक्ष (प.प.)

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 2 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर चित्तौड़गढ़ बईजलास
श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर चित्तौड़गढ़

1.बाबरू धाकड़ पिता कजोड़ धाकड़ नि.चित्तौड़ी तह.व जिला चित्तौड़गढ़

-वादी

बनाम

- 1.हजारी धाकड़ पिता उदा धाकड़ नि. चित्तौड़ी तह.व जिला चित्तौड़गढ़ मृतक के बजाय
- 1/1 - जमना बाई पुत्री किशना धाकड़ नि.सैती चित्तौड़गढ़
- 1/2 - डाली बाई पत्नी स्व.श्री बद्रीलाल धाकड़ नि.भैरूसिंह जी का खेड़ा तह.व जिला चित्तौड़गढ़ मृतक के बजाय
- 1/2/1 - उदयलाल पिता बद्रीलाल धाकड़ नि.भैरूसिंह जी का खेड़ा तह.व जिला चित्तौड़गढ़
- 1/2/2 - देवीलाल पिता बद्रीलाल धाकड़ नि.भैरूसिंह जी का खेड़ा तह.व जिला चित्तौड़गढ़
- 1/2/3 - गोपाललाल पिता बद्रीलाल धाकड़ नि.भैरूसिंह जी का खेड़ा तह.व जिला चित्तौड़गढ़
- 1/2/4 - टम्मु बाई पुत्री बद्रीलाल धाकड़ पत्नी श्री लाभचंद धाकड़ नि.चरलिया तह. निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
- 1/3 - मंगनी बाई पुत्री हजारी धाकड़ नि.घटियावली का खेड़ा तह.व जिला चित्तौड़गढ़
- 1/4 - मांगीलाल पिता हजारी धाकड़ नि.चित्तौड़ी तह.व जिला चित्तौड़गढ़
- 2.मांगीलाल पिता हजारी धाकड़ नि.चित्तौड़ी तह.व जिला चित्तौड़गढ़
- 3.राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़

-प्रतिवादीगण

प्र.स. 226/2002 (GCMS 2020/00041)

वादपत्र अर्न्तगत धारा 53 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से वकील श्री छोगालाल जाट की, और प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री मनोहर लाल जोशी की उपस्थिति मे यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि प्रकरण मे प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रथमिक डिक्री के अनुरूप होने से प्रकरण विभाजन का निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है :-

क्र.स.	नाम खातेदार	आ.नं.	रकबा	किस्म	लगान
1.	बाबरू पिता कजोड़ धाकड़ नि.चित्तौड़ी	26/1	0.66	बा. 1	3.63
	कीता	1	0.66		3.63
2.	1.हजारी पिता उदा धाकड़ नि.चित्तौड़ी मृतक के बजाय-	26/2	0.05	बा. 1	0.28
	1/1 जमनाबाई पुत्री किशना धाकड़ नि.सैती चित्तौड़गढ़	38	0.60	बा. 1	3.30



श्याम सुन्दर बिश्नोई
उपखण्ड अधिकारी एवं
चित्तौड़गढ़ (राज.)

<p>1/2 डालीबाई पत्नी स्व.बद्रीलाल धाकड नि.भैरूसिंह जी का खेडा</p> <p>1/2/1 उदयलाल पिता बद्रीलाल धाकड नि.भैरूसिंह जी का खेडा</p> <p>1/2/2 देवीलाल पिता बद्रीलाल धाकड नि.भैरूसिंह जी का खेडा</p> <p>1/2/3 गोपाललाल पिता बद्रीलाल धाकड नि.भैरूसिंह जी का खेडा</p> <p>1/2/4 टमुबाई पुत्री बद्रीलाल धाकड पत्नी लाभचन्द धाकड नि.चरलिया तह. निम्बाहेडा</p> <p>1/3 मगनीबाई पुत्री हजारी धाकड नि. घटियावली का खेडा</p> <p>1/4 मांगीलाल पिता हजारी धाकड नि. चित्तौडी</p> <p>2.मांगीलाल पिता हजारी धाकड नि. चित्तौडी</p>				
किता	2	0.65		3.58

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। विभाजन प्रस्ताव के साथ नक्शा ट्रेस डिक्री का पार्ट रहेगा।

इस वाद के खर्च - प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा - को दी जावे। यह आज दिनांक 16.02.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।




(सुखम सुन्दर विश्नेई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)



नक्शा इस मौजा पि सीडी तहसील व जिला ^{AYO}

चिचोडा (राजग)

पैमाना = 1 सेमी = 40 मीटर



हस्ताक्षर /

जयशंकर प्रसाद
201106